मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59. द्वितीय तल नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र)

क्रमांक 6817 **/एनआर-18/स्टोर/2022** **भोपाल,दिनांक**31**/10/2022**

प्रति,

संचालक
मध्यप्रदेश माध्यम
भोपाल

विषयः–परिषद कार्यालय में किराये के वाहन लगाये जाने हेतु तृतीय निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित करने विषयक। **(कोड-C 1551)**

विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल कार्यालय में किराये के वाहन लगाये जाने हेतु तृतीय निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित की जानी है। जिसका प्रारूप संलग्न है। कृपया 03 हिन्दी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सुधीर खाण्डेकर)
उपायुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्र. 6818**.NR-18/STORE/2022** **भोपाल,दिनाँक**31 **/10/2022**

प्रतिलिपि:-

1- **संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा) म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सुचनार्थ प्रेषित ।**
2- **प्रभारी,एम.आई.एस. शाखा, म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद की ओर वाहन निविदा का प्रारूप वेबसाईट** www.nregsmp.org **एवं** www.prd.mp.gov.in **में अपलोड करने हेतु प्रेषित।**

उपायुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59. द्वितीय तल नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र)

क्रमांक.6816.. /एनआर-18/स्टोर/2022 भोपाल,दिनांक .31. / 10/2022

तृतीय निविदा विज्ञप्ति

निविदा क्र.6816 एमजीएनआरईजीएस/एनआर-18/स्टोर/2022 दिनांक 31 /10/2022 मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, 59, द्वितीय तल नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) में कार्यालयीन उपयोग हेतु मासिक/दैनिक आधार पर चार पहिया वाहनों की आवश्यकता है। पंजीकृत ट्रेवल्स एजेंसी/फर्म से दैनिक/मासिक दरों पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी जानकारी नियम तथा शर्तें वेबसाईट www.nregsmp.org एवं prd.mp.gov.in से डाउनलोड अथवा परिषद कार्यालय से 1000/- की डीडी (म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल 'से नाम से देय होगा) देकर कार्यालयीन समय पर दिनांक 14/11/2022 तक प्राप्त की जा सकती है। यदि डाउनलोड फार्म को उपयोग में लाया जाता है तो 1000/- का डीडी लगाना अनिवार्य होगा। निविदा मोहरबंद लिफाफे में जमा करने की अंतिम तिथि 16/11/2022 को शाम 5:00 बजे तक है। निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष तकनीकी बिड खोलने के उपरांत सही पाये जाने पर वित्तीय बिड खोली जावेगी। दिनांक 17/11/2022 को अपरान्ह समय 3.00 बजे परिषद कार्यालय में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने की प्रक्रिया सम्पन्न की जावेगी। (निविदाकर्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी)

(सुधीर खाण्डेकर)

उपायुक्त

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद,भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59. द्वितीय तल नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र)

–:: तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना ::–

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल के लिए मासिक एवं दैनिक किराए के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप मय ईंधन/मेंटेनस एवं वाहन चालक सहित, डीजल/पेट्रोल वाहन किराए पर लेने के लिए रजिस्टर्ड/ख्याति प्राप्त पंजीकृत ट्रेवल्स एजेंसी से निविदा आमंत्रित किए जाते हैं।

<u>निविदा की शर्ते</u> :–

1. संबंधित एजेंसी को नियमानुसार **GST** का भुगतान करना होगा। इसलिए वस्तु एवं सेवाकर अंतर्गत पंजीकृत फर्म/संस्था ही आवेदन करें। वस्तु एवं सेवा कर की अंतिम /अधतन। रिटर्न निविदा आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
2. एजेंसी द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहन ही उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में वाहन के दस्तावेजों की छायाप्रतियां कार्यालय के वाहन प्रभारी अधिकारी को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा।
3. परिषद् द्वारा वाहन का दैनिक/मासिक किराया मय ईंधन के भुगतान किया जावेगा। वाहन का संधारण, वाहन चालक का वेतन, वाहन मरम्मत, दुर्घटना टूट–फूट आदि समस्त व्यय ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा वहन किये जावेंगे।
4. संस्था ट्रेवल एजेंट के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. प्रस्तावित वाहन उनके/कंपनी/फर्म के नाम से टैक्सी रूप में पंजीकृत हो। आयकर स्थाई पंजीयन कमांक **(PAN)**रखते हों। अद्यतन आयकर रिर्टन प्रमाण पत्र निविदा आवेदन साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. एजेंसी के पास वाहन निर्धारित वर्ष के **<u>2019 से 2021 (कोरोना काल में गाडी कय न होने के कारण केवल इस निविदा हेतु)</u>** निर्मित अथवा उसके बाद के पंजीकृत होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। वाहनों का रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटा में ट्रेवल्स एजेंसी अथवा उसके संचालक के नाम से होने पर ही मान्य किया जावेगा। (रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति संलग्न करें)
7. ट्रेवल एजेंसी को दरें प्रस्तुत करने के साथ सिक्युरिटी डिपाजिट राशि रूपयें **50,000/–(पचास हजार** रूपये मात्र) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल के नाम डीडी देना अनिवार्य होगा। (जिस संस्था का चयन होगा राशि रू. 1.00 लाख सिक्युरिटी डिपाजित राशि रू. करना अनिवार्य होगा)
8. किराए के वाहनों की संख्या परिषद की आवश्यकतानुसार 05–07 या उससे अधिक हो सकती हैं वाहन सप्ताह के सभी दिवसों में परिषद् को उपलब्ध कराना, ट्रेवल्स एजेंसी की बाध्यता होगी। जिसको पूरा न होना अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा।

9. स्वीकृत दरें सामान्यतः दो वर्ष के लिए प्रभावशील रहेंगी तथा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करना होगा। सेवाएं संतोषजनक होने की दशा में आवश्यकतानुसार अनुबंध 6 माह या नवीन अनुबंध होने तक बढाया जा सकता है।
10. वाहन खराब या अनुपलब्ध होने की स्थिति में, म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद, को दो घंटे के अन्दर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। इससे अधिक समय लगने पर वाहन किराया उस दिन के लिए देय नही होगा, साथ ही म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद को अधिकार होगा कि वह अन्य वाहन किराये पर ले सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था में यदि कोई अतिरिक्त व्यय आता है तो वह ट्रेवल एजेंसी से वसूल किया जावेगा। वाहन को खराब होने के स्थान से लाये जाने का दायित्व ट्रेवल्स एजेंसी का होगा।
11. न्यूनतम निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबंध न करने पर अगले (न्यूनतम दर से तत्काल उपर –एल 2) निविदाकार से अनुबंध की कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में न्यूनतम निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
12. वाहन का माइलोमीटर सदैव चालू रहे। अपवाद स्वरूप यात्रा के दौरान खराब होने पर की गयी यात्रा का प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो कि मान्य करना होगा।
13. वाहन मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को उनके द्वारा निर्धारित स्थान पर मय वाहन चालक के उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
14. ट्रेवल्स एजेंसी का डाक का पता एवं सम्पर्क व्यक्ति का नाम/दूरभाष क्रमांक का एक पत्रक से संलग्न करना होगा।
15. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान में भी ले जाया जावेंगा। ट्रेवल एजेंसी के ड्राईवर का यह कर्तव्य होगा कि म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के अधिकारियों के आदेशो का पालन करें।
16. वाहन शासकीय कार्य संपादन हेतु म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सुविधानुसार प्रभारी अधिकारी के निवास व कार्यालय में रखा जा सकेगा।
17. वाहन के साथ वाहन के समस्त कागजात तथा मूल पंजीयन बीमा पॉलिसी, इत्यादि रखना अनिवार्य होगा। एक प्रति कार्यालय को अभिलेख हेतु देना होगा।
18. ट्रेवल्स एजेंसी को ड्राईवर के पास बीमा रजिस्ट्रेशन एवं टैक्सी वाहन चलाने का लायसेंस आदि के कागजात वाहन में हमेशा साथ रखने होंगे। वाहन टैक्स पेड होगा तथा स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना होगा वाहन का बीमा होना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर ट्रेवल एजेंसी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी तथा समस्त खर्च वहन करेगी।
19. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में हर समय अच्छी हालत में स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहियों/टायर ट्यूब नये होने चाहिये तथा माइलोमीटर हमेशा चालू हालात में होना अनिवार्य है।
20. जिन निविदाकारो की दरें अस्वीकार की जावेंगी उनकी प्रतिभूति राशि आवेदन प्रस्तुत करने के आधार पर मूलतः लौटाई जावेगी।
21. निविदा में दर्शित दरें अनुबंधित अवधि तक मान्य होगी। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार से बाजार दरो में परिवर्तन होने पर स्वीकृत दरो में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

22. वाहन को शहर की नगर निगम सीमा के बाहर जाने की दशा में शासन द्वारा स्वीकृत टोल टैक्स यदि कोई हो तो टोल टेक्स का भुगतान रसीद के आधार पर परिषद द्वारा किया जावेगा। इस हेतु ट्रेवल्स एजेंसी को वाहन के देयक के साथ रसीद को संलग्न कर परिषद में प्रस्तुत करना होगा। टोल टैक्स के अलावा वाहन पर होने वाली अन्य राशियां ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा वहन की जावेंगी। जिसकी प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा नहीं की जावेगी।
23. विवाद की स्थिति में म.प्र.राज्य रोजगार गांरटी परिषद् का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्राप्त निविदा में से किसी को या समस्त निविदा को या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त कर सकती है।
24. नियत तिथि व समय के उपरांत प्राप्त निविदा पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
25. वाहन चालक के पास कम से कम पाँच वर्ष का वैध ड्राईविंग लाइसेंस हो एवं समस्त आवश्यक बीमा एवं अन्य आवश्यक कागजात पूर्ण रखना होगा। वाहन के खराब अथवा अनुपलब्धता होने की स्थिति में वैकल्पिक उसी स्तर का वाहन उपलब्ध करने का दायित्व निविदादाता का होगा अन्यथा क्षतिपूर्ति की राशि 1000/– प्रतिदिन के मान से काटी जायेगी।
26. संबंधित ट्रेवल्स ऐजेन्सी को वाहन चालकों के वेतन भत्ते न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत देना तथा वाहन चालकों के EPF, ESI की कटोत्रा नियमित रूप से किया जाना अनिवार्य हैं परिषद द्वारा जानकारी मांगे जाने पर देना होगा।
27. अनुबंध निष्पादन के दिनांक से ही जितने वाहन की परिषद कार्यालय को आवश्यकता हैं उतने वाहनों को उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। अन्यथा 1000/– प्रतिदिन प्रति वाहन के हिसाब से धरोहर की राशि से काट ली जायेगी।
28. वाहन के साथ लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा। लॉग बुक उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिदिन भरी जायेगी।
29. संस्था को वाहन/वाहनों के उपयोग उपरांत मासिक देयक आगामी माह की दिनांक 10 तारिख तक परिषद मुख्यालय को वाहन के उपयोगकर्ता से लॉगबुक सत्यापित उपरांत जमा कराना होगा अन्यथा की स्थिति में आयुक्त द्वारा नियत की गयी राशि का कटोत्रा भुगतान राशि में से किया जावेंगा।
30. मासिक किराएदारी पर वाहन लिए जाने पर वाहन कार्यालय/अधिकारी/आवास में खड़ी करना होगी। यदि द्वितीय पक्ष अनुबंध अनुसार वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी सूचना एक माह पूर्व देना होगी।
31. वाहनों का RTO में टेक्सी कोटा में रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। इसके प्रमाणक तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
32. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी भी प्रकार के विवाद में द्वितीय पक्ष का उत्तरदायित्व होगा।
33. वाहन चालक द्वारा अपने कर्तव्य पर उपस्थिति के दौरान गुटखा, तम्बाकू, एवं धूम्रपान एवं नशे संबंधी गतिविधियॉ पूर्णतः वर्जित है एवं वाहन चालक का पुलिस वेरिफिकेशन पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
34. एजेंसी द्वारा बाहर जाने पर वाहन चालक को वाहन मरम्मत व सुधार कार्य हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

35. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों में 02 जोड़ी सीट कव्हर,टॉबेल, परफ्यूम, रीडिंग लैंप, घड़ी, टार्च, चार्जर, फस्ट एड बॉक्स, बारिश के मौसम में छाता, सीट बैल्ट, एवं अग्निशमन यंत्र इत्यादि अनिवार्य रूप से रखी होना आवश्यक होगा।

36. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन एवं वाहन चालक को बदलने से पूर्व प्रथम पक्षकार की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी, क्योंकि इससे शासकीय कार्य बाधित होते हैं। वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी की अनुमति उपरांत ही वाहन एवं वाहन चालक बदला जावेगा।

37. अनुबंध के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवेक्षण (Monitoring) भी म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा किया जायेगा।

38. किसी भी वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा।

39. तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा प्रपत्र मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें।

40. नियमानुसार समस्त प्रकार के करो आदि का कटौत्रा परिषद् द्वारा किया जायेगा।

41. समस्त प्रकार के करों तथा परिवहन, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम कानून, आयकर एवं अन्य प्रावधानों का पालन करने का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म/संस्था को होगा।

42. वित्तीय निविदा में L1 (लोएस्ट फस्ट) आधार पर चयन होगा। L1 (लोएस्ट फस्ट) को मासिक आधार पर, "प्रतिदिन के आधार" पर एवं "मुख्यालय के बाहर" के आधार पर पृथक–पृथक परीक्षित किया जायेगा। सुविधा की दृष्टि से मासिक आधार पर प्राप्त L1(लोएस्ट फस्ट) पर चयनित फर्म की दरें यदि "प्रतिदिन आधार" एवं "मुख्यालय से बाहर" के प्रकरणों में अधिक हैं, तो इसी L1 (लोएस्ट फस्ट) से उपर्युक्त "प्रतिदिन आधार" एवं "मुख्यालय से बाहर" के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त अन्य न्यूनतम दरों के तारतम्य में निगोसियेशन किया जा सकेगा। यदि संबंधित L1 इस पर तैयार है, तो उस संस्था से अनुबंध किया जावेगा।

उपायुक्त
म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

'अ' मे रखे

तकनीकी निविदा प्रपत्र– 1

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए(तकनीकी निविदा)निविदाकार से संबंधित जानकारियों की शर्ते

1. निविदाकार का नाम : ....
2. कार्यालय का पूरा पता एवं दूरभाष क्रमांक : ....
....
....
3. निवास का पूरा पता एवं दूरभाष : ....
....
....
4. ई– मेल एवं मोबाईल नं. : ....
5. यदि निविदा फर्म/संस्था की ओर से है फर्म/ संस्था के मालिक/ संचालक का नाम एवं पूर्ण पता : ....
....
....
6. क्या निविदाकार को किसी शासकीय/विभाग संस्था द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के लिए आयोग्य ठहराया गया है ?/ ब्लेक लिस्टेड किया गया हैं।यदि हाँ तो पूर्ण विवरण लिखें : ....
....
....
....
7. क्या निविदाकार को किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में सिद्ध दोष ठहराया गया है ? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण लिखें : ....
....
....
8. शासकीय कार्यालयों में वाहन किराये पर उपलब्ध कराने का तीन वर्ष का अनुभव विवरण दें । : ....
....

कमांक	कार्यालय का नाम	अवधि

9. निविदाकार का **GST** का विवरण एवं रिटर्न की प्रति संलग्न करें। वर्ष 2020–2021 / अधतन 2021–2022

संस्थान / कार्यालय का नाम	वस्तु एवं सेवाकर पंजीयन क्रमांक

10. निविदाकार के स्वामित्व में उपलब्ध वाहनो का विवरण एवं टर्न ओवर :–

अ. वाहनों का विवरण (वाहन का टैक्सी परमिट होना चाहिए, स्वंय के स्वामित्व में 05 एवं 05 अन्य अनुबन्धित वाहन होना चाहिए तथा जिनका अभिलेख / परमिट / टैक्स का भुगतान अधतन होना चाहिए।)

क्रं	वाहनो का प्रकार	मेक माडल	संख्या	सीट संख्या
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

ब. टर्न ओवरनिविदाकार का विगत तीन वर्षो 2019–20, 2020–21एवं 2021–22 का प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक टर्न ओवर 15 लाख सालाना होना चाहिए।

स. C.A.द्वारा सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण पत्र सलंग्न साथ हैं।

क्रमांक	वर्ष	टर्न ओवर
1	2020–21	
2	2021–22	

11. श्रेत्रीय परिवहन कार्यालय के टेक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होने का प्रमाण संलग्न करें।

12. विगत 03, वर्ष (2019–20, 2020–21एवं 2021–22 अधतन) की पृथक–पृथक आयकर विवरण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

13. सुरक्षा राशि का विवरणः– बैंक ड्राफ्ट / ....
बैकर्स चैक क्रमांक, बैंक का नाम दिनांक राशि ....

14. फार्म की कीमत रू. 1000 / – जमा कराने का डी.डी. का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

हस्ताक्षर

//घोषणा//

मैं .... पिता/पति .... एतद् द्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि उपर क्रमांक 1 से 14 तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी तथ्य को मेरे द्वारा छिपाया नही गया है। मै यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैने निविदा की सरल क्र.......... से .... तक सभी शर्ते पढ. ली है तथा ये शर्तें मुझे मान्य है। समस्त शासकीय नियमों के पालन हेतु कानूनी रूप से मैं जिम्मेदार हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम : ....

दूरभाषः ....

मो. क्रं...

लिफाफा (ब)

वित्तीय निविदार

वाहन का प्रकार (वाहन निर्धारित मेक अर्थात् मॉडल 1.1.2021 अथवा उसके बाद का होना चाहिये)	निविदा भरने की दिनांक को X शो रूम प्राईज (संबंधित कंपनी की गाडी का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक होगा।	मुख्यालय पर मासिक आधार पर				मुख्यालय पर प्रतिदिन के आधार पर वाहन लिए जाने पर		मुख्यालय के बाहर		प्रतिदिन के आधार पर	
		1000 किलोमीटर तक वाहन चालन पर फिक्स्ड चार्जेस राशि(रू.)		1000 किमी से अधिक चलने पर दर प्रति किमी (रू.)		दर प्रति कि.मी.		दर प्रति कि.मी. (*1)		दर प्रति कि.मी.	
		पेट्रोल	डीजल	पेट्रोल	डीजल	पेट्रोल	डीजल	पेट्रोल	डीजल	पेट्रोल	डीजल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
इनोवा /समकक्ष वाहन											
इनोवा क्रिस्टा /समकक्ष वाहन											
स्कार्पियो /समकक्ष वाहन											
स्विफटडिजायर/समकक्ष वाहन											
इंडिगो /समकक्ष वाहन											
सियाज /समकक्ष वाहन											

नोट –1. मुख्यालय का तात्पर्य भोपाल शहर की नगर निगम सीमा है।

2. उपर्युक्त दरों के अलावा अन्य कोई राशि देय नहीं होगी। मुख्यालयसे बाहर जाने में मात्र टोल टेक्स की रसीदें प्रस्तुत करने पर भुगतानकिया जा सकेगा।

3. उपर्युक्त अंकित की जाने वाली दरें समस्त प्रभारों/व्यय/POL सहित चाहिये।

हस्ताक्षर

संस्था